फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– २५६/2023

रमेश **बनाम** सरकार

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चन्द महावर हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी ने यह वाद बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि विवादित भूमि खाता संख्या 666 में खसरा नम्बर 1077, 1329, 1330, 1331 लगायत 1344, 1357, 1358, 1387, 1392, 1393, 1394, 1397 लगायत 1407 कुल किता 35 कुल रकबा 5.88 है0 वाके ग्राम चाकसू पूर्व मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी के नाम राकेश पुत्र मूल्या दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम रमेश पुत्र मूल्या दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि अप्रार्थी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राकेश पुत्र मूल्या दर्ज चला आ रहा है। अतः जवाब सरकार एवं वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि राकेश पुत्र मूल्या के स्थान पर रमेश उर्फ राकेश पुत्र मूल्या किया जावें। अतः वादी का नाम रमेश उर्फ राकेश पुत्र मूल्या विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।	